राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/18–19/35781-90 दिनांक 5/10/18

परियोजना अधिकारी -
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : बाउण्ड्रीवॉल मय रिटेनिंगवाल निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का पत्रांक 2852–53 दिनांक 04.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 34955–62 दिनांक 28.09.2018 द्वारा प्रधान, पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर मे बाउण्ड्रीवॉल मय रिटेनिंगवाल निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू. 5.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति से तकनीकी स्वीकृति (JTA MNAREGA 116/2018-19/03.10.2018) प्राप्त होने से वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 5.00 लाख की जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य पर राशि रू. 5.00 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–19/2018–19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Repairing & Addition in Govermment building in Scheduled Area हेतु प्राप्त राशि रू. 200.00 लाख मे से होगा।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।.
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना निश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्ता पूर्वक** किया जावें।
4. स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त
कृ.पृ.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/18-19/35781-90 दिनांक : 5/10/18
प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या–19/2018–19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Repairing & Addition in Govermment building in Scheduled Area हेतु प्राप्त राशि रू. 200.00 लाख मे से राशि रू. 5.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तान्तरित करावें।
5. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर के प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ।
8. प्रधान/विकास अधिकारी, पंचायत गिर्वा जिला उदयपुर।
9. गार्ड फाईल।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com.,Website www.tad.rajasthan.gov.in